उत्तराखण्ड भासन
ऊर्जा विभाग
संख्याः- 348 /I(2)/2011-05/17/2006
देहरादूनः दिनाँकः 14 फरवरी, 2011

कार्यकारी आदेश

राज्यपाल, गैस आधारित संयंत्रों से राज्य की विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने, राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर करने, विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक इकाईयों, घरेलू, कृषि आदि को उनकी मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने, राज्य में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं के निर्माण हेतु अधिकाधिक पूँजी निवेश कराये जाने, पर्यावरणीय सन्तुलन बनाए रखने तथा राज्य में रोजगार के अवसरों को सृजित किए जाने तथा ऐसी परियोजनाओं की स्थापना करने, जो नवीनतम/उच्चतम तकनीक (पर्यावरण के अनुकूल एवं उच्च दक्षता के उपकरण) का उपयोग करती हो, के प्रयोजन से उत्तराखण्ड राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित नीति बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति, 2011

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति, 2011 है।

(2) यह नीति समस्त उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नीति राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो :-

(क) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) **"व्यक्ति"** के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(घ) **"पट्टाकर्ता"** से अन्तरक पट्टाकर्ता अभिप्रेत है;

(ङ) **"पट्टेदार"** से अन्तरिती पट्टेदार अभिप्रेत है;

(च) **"भाटक"** से देय या करणीय धन, अंश, सेवा या अन्य वस्तु अभिप्रेत है;

(छ) **"समिति"** से प्रस्तर 10 में गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

विकासकर्ताओं को सहयोग सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

3. राज्य सरकार परियोजना के विकासकर्ता को निम्नवत् सहयोग/ सुविधायें एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी :–

(क) परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का राजकीय उपक्रम द्वारा सशर्त/ आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना;

(ख) ईंधन (गैस) संयोजन की प्राप्ति/व्यवस्था में सहयोग करना;

(ग) परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण एवं भू–अर्जन में सहयोग करना;

(घ) राज्य सरकार से सम्बन्धित स्वीकृतियाँ एवं सहमतियाँ Single Window के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना;

(ङ) परियोजना से सम्बन्धित अवस्थापना व्यवस्थाओं यथा सड़क आदि का सृजन/उच्चीकरण में सहयोग;

(च) पारेषण अधिकार (Right of Way) की व्यवस्था करना;

(छ) जलापूर्ति की व्यवस्था में सहयोग कराना;

(ज) भारत सरकार द्वारा निर्गत किसी नीति अथवा भविष्य में निर्गत होने वाली नीति से लाभ के लिए विकासकर्ता को राज्य सरकार की ओर से संस्तुति की व्यवस्था (यदि विकासकर्ता अन्य अर्हतायें पूर्ण करता है) करना।

नीति से आच्छादित/ लक्षित/अर्ह परियोजनाओं की शर्तें

4. इस नीति के प्रारम्भ होने की तारीख से आच्छादित, लक्षित एवं अर्हित परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :–

(1) ऐसे विकासकर्ता/परियोजनायें, जो एक स्थान पर न्यूनतम 200 मेगावाट एवं अधिकतम 500 मेगावाट उत्पादन करना चाहें, उनमें अन्य बातें समान होने पर अधिक क्षमता की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा ऐसी विकासकर्ता कम्पनियां/फर्में, जिनमें एक या एक से अधिक निदेशक/ प्रोमोटर उभयनिष्ठ (Common) हों (अर्थात् एक या एक अधिक निदेशक/ प्रोमोटर एक या एक से अधिक आवेदक कम्पनियों में हों), तो केवल एक

ही कम्पनी आवेदन के अर्ह होगी। उल्लंघन की दशा में ऐसी विकासकर्ता कम्पनियों/फर्मों की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

(2) ऐसे कैपटिव पावर प्लान्ट, जो 50 मे0वा0 से अधिक क्षमता गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन करना चाहें।

निजी विकासकर्ताओं को गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिए जाने के लिए विकल्प

5. निजी विकासकर्ताओं को गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिए जाने के लिए निम्नलिखित विकल्प होंगे :–

विकल्प – 01

ऐसे विकासकर्ता, जिन्होंने सरकार से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त किये बिना पूर्ण रूप से अपने ही संसाधनों से उत्पादन संयंत्र स्थापित कर लिया है अथवा करना चाहती हैं, परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंश सरकार द्वारा नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत Variable cost जो यथोचित नियामक आयोग अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी, पर विक्रय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगे अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर क्रय/इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा ।

राज्य सरकार की नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) द्वारा उक्त विकल्प में प्रस्तावित 10 प्रतिशत के अतिरिक्त, परियोजना से उत्पादित शेष विद्युत उतनी मात्रा में, जितनी एजेन्सी को आवश्यक हो, सम्बन्धित विकासकर्ता के साथ आपसी सहमति से यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय कर सकेगी।

इस विकल्प के विकासकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से उन्हें राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं (जिनके लिये विकासकर्ता अर्ह हो) के अतिरिक्त कोई विशेष सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के रूप में विभिन्न प्रकार की आवश्यक अनुमतियां/क्लीयरेंसेज शीघ्रता एवं प्राथमिकता पर Single Window के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। ऐसे विकासकर्ताओं से विद्युत अधिप्राप्ति की व्यवस्था नामित एजेन्सी तत्समय निर्धारित/प्रचलित /लागू प्रकियाओं/नियमों/नीतियों के अनुसार करेगी ।

विकल्प–02

परियोजना निर्माण एवं संचालन का समस्त कार्य/व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से की जानी होगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के रूप में विभिन्न प्रकार की आवश्यक अनुमतियाँ/क्लीयरेंसेज शीघ्रता एवं प्राथमिकता पर Single Window के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। परियोजना के लिये ईंधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार अनुशंसा करेगी।

इस विकल्प के विकासकर्ता परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश सरकार द्वारा नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत (Variable cost) जो यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी) पर विकय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगे अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर कय/इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

राज्य सरकार की नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) द्वारा इस विकल्प में उपरोक्त 20 प्रतिशत (अथवा 20 से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा में प्राप्त अधिकतम प्रतिशत वेरिएबल मूल्य पर) देने के पश्चात् परियोजना से उत्पादित शेष विद्युत उतनी मात्रा में, जितनी एजेन्सी को आवश्यक हो सम्बन्धित विकासकर्ता के साथ आपसी सहमति से यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय की जा सकेगी।

ऐसे विकासकर्ताओं से विद्युत अधिप्राप्ति की व्यवस्था नामित एजेन्सी तत्समय निर्धारित/प्रचलित/लागू प्रकियाओं/नियमों/नीतियों के अनुसार करेगी।

व्यवस्थायें	सरकार का सहयोग	विकासकर्ता के दायित्व
भूमि अर्जन	.	√
विद्युत निकासी/ पारेषण	.	√
ईंधन	√(अनुशंसा)	√
जलापूर्ति	.	√
पहुंच मार्ग	.	√
स्वीकृतियां/क्लीयरेसेज	√	√
डी0पी0आर0 निर्माण	.	√

विकल्प–03

इस विकल्प में सरकार की ओर से सहयोग/प्रोत्साहन के रूप में ईंधन की उपलब्धता की अनुशंसा के साथ–साथ भूमि अर्जन, विद्युत निकासी/पारेषण, जलापूर्ति, पहुॅच मार्ग, स्वीकृतियां/क्लियरेंस आदि में सहयोग करेगी। इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन विकासकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा।

इस विकल्प में विकासकर्ता द्वारा उत्पादित ऊर्जा के 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अंश (अर्थात् उत्पादन के कुल 70 प्रतिशत अंश) पर निम्नानुसार बाध्यता होगी:–

'परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश सरकार द्वारा नामित ऐजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत (जो यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी) पर विक्रय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगी अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर क्रय/इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा'।

उपरोक्त 20 प्रतिशत के अतिरिक्त कुल विद्युत उत्पादन के 50 प्रतिशत अंश के लिए विकासकर्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदायें आमंत्रित की जायेगी। यह निविदायें ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली से की जायेंगी। प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा का बिड वेरिऐबिल (निविदा बोली) ऊर्जा का विक्रय मूल्य होगा। यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के सापेक्ष न्यूनतम दर के बोलीदाता को चयन में वरियता दी जायेगी।

व्यवस्थायें	सरकार का सहयोग	विकासकर्ता के दायित्व
भूमि अर्जन	√	√
विद्युत निकासी/पारेषण	√	√
ईंधन	√	√
जलापूर्ति	√	√
पहुंच मार्ग	√	√
स्वीकृतियां/क्लीयरेसेज	√	√
डी0पी0आर0 निर्माण	-	√

विकल्प–04

इस विकल्प के विकासकर्ता के साथ सरकार परियोजना में हिस्सेदारी करेगी। राज्य सरकार द्वारा इस विकल्प में केवल भारत सरकार तथा राज्य सरकार/सरकारों के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के साथ परियोजना स्थापित की जायेगी। सरकार की हिस्सेदारी उसी अनुपात में होगी, जिस अनुपात में सरकार द्वारा परियोजना लागत में योगदान दिया जायेगा। ऐसी सभी व्यवस्थायें, जो सरकार परियोजना निर्माण के लिये अपनी ओर से उपलब्ध करायेगी, का मूल्यांकन कर उसे अंशपूंजी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 80 प्रतिशत यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय/इंकार करने का प्रथम अधिकार राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) का होगा।

परियोजना हेतु विकासकर्ता के चयन की प्रकिया

6. परियोजना हेतु विकासकर्ता के चयन की निम्नलिखित प्रकिया होगी :–

(क) विकल्प–01 में विकासकर्ता के चयन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) विकल्प–02 में एक से अधिक विकासकर्ताओं द्वारा आवेदन किये जाने की दशा में इस विकल्प में (पैरा–1.2) निर्धारित वेरिएबल मूल्य पर दी जाने वाली न्यूनतम 20 प्रतिशत विद्युत के अतिरिक्त (ओवर एवं अवब 20 प्रतिशत) निविदा में अधिकतम प्रतिशत अंश पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जो विकासकर्ता अधिकतम विद्युत की आपूर्ति वेरिएबल मूल्य पर राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को करने का प्रस्ताव देगा, उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

(ग) विकल्प–03 में प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शी निविदा पद्धति के आधार पर परियोजना से उत्पादित विद्युत को वेरिएबल मूल्य (Variable Cost) पर 20 प्रतिशत विद्युत राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को उपलब्ध कराना सभी विकासकर्ताओं के लिए अनिवार्य होगा।

उपरोक्त 20 प्रतिशत के अतिरिक्त (ओवर एवं अवब) कुल विद्युत उत्पादन का 50 प्रतिशत अंश ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली से की जायेगी। जो इच्छित विकासकर्ता प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा में यथोचित नियामक आयोग द्वारा

निर्धारित दर के सापेक्ष अधिकतम प्रतिशत छूट की निविदा का प्रस्ताव राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को देगा, उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

इस विकल्प में परियोजना निर्माण का स्थल, परियोजना की क्षमता एवं वर्णित स्थल के दृष्टिगत अन्य आवश्यक सूचनायें एवं विवरण प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा आमंत्रण के समय इंगित की जायेंगी ।

(घ) विकल्प–04 के सापेक्ष केवल भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों के साथ परियोजना स्थापित की जायेगी। संस्था का चयन शासन द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी (सक्षम समिति) की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

7. नीति के अन्तर्गत सम्बन्धित विकासकर्ताओं को राज्य में प्रख्यापित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन उनकी अर्हतानुसार अनुमन्य होगी।

राज्य सरकार को प्रथम विद्युत कय करने अथवा इंकार करने का अधिकार

8. राज्य सरकार की विद्युत वितरण संस्था (यूपीसीएल) को प्रस्तर (5) में उपलब्ध विकल्पों में से इंगित विद्युत क्रय करने अथवा इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा। यूपीसीएल द्वारा उपरोक्त विकासकर्ताओं से विद्युत कय के सम्बन्ध में उन सभी आवश्यक प्रतिबन्धों/नियमों/समावधियों का अनुपालन किया जायेगा, जो तत्समय प्रचलित होंगी।

परियोजना स्थापना हेतु आवेदक के चयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं सिंगल विन्डो क्लीरेन्सेज/ स्वीकृति प्रक्रिया

9. **(1)** परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदक का चयन एवं क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तर (10) के अनुसार एक सक्षम समिति (इम्पावर्ड कमेटी) होगी, जिसके सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव /सचिव, ऊर्जा होंगे।

(2) विकल्प–2 में चयनित विकासकर्ता द्वारा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर के उपरान्त 02 माह में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। इस डी0पी0आर0 में विद्युत उत्पादन

तकनीक, ईंधन, पानी एवं भूमि उपयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन सम्बन्धी तकनीक आदि का विवरण समाहित होगा। इस विकल्प के अन्तर्गत प्रस्ताव करने वाले विकासकर्ता के साथ अनुबन्ध का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र (Bid Document) में दिया जायेगा।

(3) विकल्प–3 में भाग लेने वाले विकासकर्ता का चयन न्यूनतम निविदादाता, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली पर किया जायेगा, शर्त यह है कि निविदादाता राज्य सरकार द्वारा निर्गत आर0एफ0पी0/आर0एफ0क्यू0 तथा निविदा प्रपत्र में प्राविधानित सभी अर्हता विषयक शर्तों को पूरा करता हो। इस विकल्प में परियोजना निर्माण का स्थल, परियोजना की क्षमता एवं वर्णित स्थल के दृष्टिगत अन्य आवश्यक सूचनायें एवं विवरण निविदा आमंत्रण के समय इंगित की जायेंगी।

(4) विकल्प–2 एवं 3 के लिये वित्तीय एवं तकनीकी अर्हता, निविदा मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश/मानक सक्षम समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पृथक रुप से निविदा प्रपत्र (Bid Document) में निर्गत किये जायेंगे।

(5) सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।

एम0ओ0यू0 में अन्य के साथ मुख्यतः Event of default, परियोजना के क्रियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख होगा तथा परियोजना की क्षमता के अनुसार निर्धारित परफोर्मेंस गारन्टी विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा उसकी नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को देनी होगी। इस सम्बन्धी विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र (Bid Document) में निर्गत किया जायेगा।

(6) एम0ओ0यू0 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा वित्तीय प्रबन्धन नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में एम0ओ0यू0 निरस्त करते हुये इस परियोजना हेतु इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे समस्त लाभों को समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) राज्य सरकार एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं को उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार भूमि

उपलब्ध करायेगी तथा परियोजना स्थापना हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

(8) इस नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) के साथ अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर एम0ओ0यू0/अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन विकासकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(9) इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावों के आमंत्रण, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं उपयुक्त विकासकर्ता आवेदक के चयन हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 नोड़ल एजेन्सी होगी। इस प्रयोजन हेतु ऊर्जा विभाग में गठित ऊर्जा सैल यूपीसीएल को तकनीकी सहयोग/विशेषज्ञता उपलब्ध करायेगा, जिसके लिये ऊर्जा विभाग के निगमों में अथवा वाह्य स्रोतों से आवश्यकतानुसार अधिकारियों/विशेषज्ञों की सेवा ली जायेगी।

(10) इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावों के आमंत्रण, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं उपयुक्त विकासकर्ता आदि के चयन आदि कार्यो की प्रोसेसिंग में होने वाले व्यय का भुगतान यूपीसीएल द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त शुल्क से वहन किया जायेगा।

(11) नीति के अन्तर्गत यदि कोई विषय/प्रकरण आच्छादित नहीं होता है तो उस परिस्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 36 वर्ष 2003) तथा समय–समय पर किये गये संशोधन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

परियोजना के आबंटन, कियान्वयन एवं सिंगल विन्डो क्लीरेन्सेज/ स्वीकृति हेतु सक्षम समिति

10. परियोजनाओं के आवंटन, कियान्यवन एवं सिंगल विन्डो क्लीरेन्सेज/स्वीकृति हेतु निम्नवत् एक सक्षम समिति होगी :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव एवं आई0डी0सी0, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड	–	सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड	–	सदस्य

6. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड–		सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड	–	सदस्य सचिव
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	–	सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0	–	सदस्य
10. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल	–	सदस्य
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल	–	सदस्य
12. मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड	–	सदस्य।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव।

संख्या 348 /I(2)/2011-05/17/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
4– मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5– प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/यूजेवीएनएल/पिटकुल/सिडकुल, देहरादून।
6– विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, उरेडा, देहरादून।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय प्रेषित कि कृपया गजट प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव